


3/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी
द्वारा बार-बार निर्देशित करने एवं अवसर दिये जाने के
बावजूद संबंधित वाद शीर्षक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
प्रकरण तलवी की स्टेज पर है। फलस्वरूप ~~न्यायिक~~
न्यायिक आदेशों की पालना नहीं करने के कारण दावा
संवर्त खारिज किया जाता है। चूंकि दावा आराजी के
विभाजन से ही संबंधित है, समस्त पक्षकार सहस्वातेदारान
हैं, फलस्वरूप Cause of action विभाजन के दावे में
निरंतर जारी है इसलिए प्रतिवादीगण को रु 200/- के
हर्जने पर नये सिरे से दावा प्रस्तुत करने की
शर्त के अधीन हस्तगत दावा खारिज किया जाता है।
पत्रावली वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(निशि सिंह)

उपखण्ड न्यायिक अधिकारी
राजगढ़ शेखावाटी